दिनांक	आज्ञा पत्र
14/11/19	पत्रावली पेश हुई / पक्षकार उपस्थित है। P.O. Sb. अवकाश पर / चुनाव कार्य में व्यस्त / आज्ञा पत्र / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/12/19 को पेश हो।
04.12.19	पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड के [illegible] तहसीलदार [illegible] से [illegible] प्रस्ताव प्राप्त हुआ। [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 17/12/19 को पेश हो।
17/12/19	पत्रावली पेश हुई। [illegible] के [illegible] प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/12/19 को पेश हो।
31/12/19	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उपलब्ध अभिलेख [illegible] किया। पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] किया जाता है। [illegible] पत्रावली [illegible] तहसीलदार, धोद को [illegible] किया। [illegible] पत्रावली [illegible] तहसील उचित [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
धोद जि. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

मुकदमा नंबर – 28/2019/दावा

बनवारीलाल शर्मा पुत्र सुरजमल शर्मा उम्र 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर जरिये मुख्त्यार विकास शर्मा पुत्र बनवारीलाल शर्मा उम्र 28 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर

–वादी

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र सुरजमल शर्मा उम्र 64 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर
2. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

उपस्थिति–

1. श्री अभिषेक शर्मा वकील वादी की ओर से
2. श्री ईश्वरलाल यादव वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

निर्णय

सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

दिनांक– 31.12.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद के संबंध में उभयपक्ष की सुनवाई के बाद दिनांक 29.07.2019 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 161, 162, 163, 166, 215, 41 किता 6 कुल रकबा 5.04 है0 वाके ग्राम टाटनवा प.मं. भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा हेतु तहसीलदार, धोद जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2019/3605 दिनांक 25.11.2019 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाद डिकी किये जाने पर सहमति प्रकट की। बहस उभयपक्ष की सुनी गई। बहस में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार, धोद के प्रस्तावानुसार बंटवारे की अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। अतः प्रकरण में विवादित भूमि के बंटवारें की अंतिम डिक्री तहसीलदार के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है। अतः विवादित भूमि खसरा सं. 41 रकबा 0.80 हेक्टेयर, खसरा सं. 161 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा सं. 162 रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा सं. 163 रकबा 0.09 हेक्टेयर, खसरा सं. 166 रकबा 1.37 हेक्टेयर, खसरा सं. 215 रकबा 2.11

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

हेक्टेयर किता 6 कुल रकबा 5.04 हेक्टेयर वाके ग्राम टाटनवां तहसील धोद जिला सीकर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. बनवारीलाल पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	215 161	2.11 हेक्टेयर 0.34 हेक्टेयर
	किता 2	2.45 हेक्टेयर
2. नेमीचंद पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	41 162 163 166 मिन	0.80 हेक्टेयर 0.33 हेक्टेयर 0.09 हेक्टेयर 1.31 हेक्टेयर
	किता 4	2.53 हेक्टेयर
3. नेमीचंद बनवारीलाल पि. सुरजमल हि.ब. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	166 मिन	0.06 हेक्टेयर

तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक **31.12.2019** को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इबादाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

बनवारीलाल बनाम **नेमीचन्द आदि**

दावा बाबत बंटवारा

दावा मुकदमा नं. 26/2019 **निर्णय दिनांक– 31.12.2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव, आरएएस व हाजिरी श्री अभिषेक शर्मा, एड. रूबरू श्री ईश्वरलाल यादव, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी के वाद में तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 41 रकबा 0.80 हेक्टेयर, खसरा सं. 161 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा सं. 162 रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा सं. 163 रकबा 0.09 हेक्टेयर, खसरा सं. 166 रकबा 1.37 हेक्टेयर, खसरा सं. 215 रकबा 2.11 हेक्टेयर वाके ग्राम टाटनवां तहसील धोद जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. बनवारीलाल पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	215	2.11 हेक्टेयर	बारानी 2	10.55
	161	0.34 हेक्टेयर	बारानी 2	1.70
	किता 2	2.45 हेक्टेयर	बारानी 2	12.25
2. नेमीचंद पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	41	0.80 हेक्टेयर	बारानी 2	4.00
	162	0.33 हेक्टेयर	बारानी 2	1.65
	163	0.09 हेक्टेयर	बारानी 2	0.45
	166 मिन	1.31 हेक्टेयर	बारानी 2	6.55
	किता 4	2.53 हेक्टेयर	बारानी 2	12.65
3. नेमीचंद बनवारीलाल पि. सुरजमल हि.ब. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	166 मिन	0.06 हेक्टेयर	बारानी 2	0.30

तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.12.2019 को जारी की गई।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.06 14:28:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: